भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 36B/2018–19

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

शंकर महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

सपना देवी..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26-10-19		

विक्रेता :– शंकर महतो पिता स्व0 जनमेजय महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

क्रेता :– सपना देवी पति प्रफुल्ल महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 28.04.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता सपना देवी पति प्रफुल्ल महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
उपरदुगनी	सरायकेला / 183	55	1150	0.57ए0
			1154	0.60ए0
			कुल –	**1.17ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 1173 दिनांक 06.07..2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।
2. प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2015–16 तक अद्यतन है।
3. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
4. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–6.34½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
5. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेत[illegible] करना चाहता है।

[illegible] एवं जाति–'कुर्मी' है जो अत्यंत

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता शंकर महतो पिता स्व0 जनमेजय महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता सपना देवी पति प्रफुल्ल महतो, ग्राम–उपरदुगनी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–1.17ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।